

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

322



II। निगरा सतना 12.01.2018/20176
मुनकौना साहू तनय बिसरमा साहू उम्र 75 वर्ष साकिन गुड्डुवा तहसील
मझगवां जिला सतना म०प्र०—निगराकार

बनाम

रामविश्वास तनय मधईया साहू उम्र 66 वर्ष साकिन गुड्डुवा
तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०

2. सुखुआ उर्फ भगवानदीन तनय श्री बिसरमा साहू उम्र 76 वर्ष साकिन
गुड्डुवा तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०—गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०

संहिता-1959 विरुद्ध आदेश अनुविभागीय

अधिकारी मझगवां जिला सतना म०प्र० के

राजस्व अपील क्रमांक-98/अपील/2016-17

में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.02.2018

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी
प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि-गैर निगराकार कं०-1

के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार तहसील मझगवां

जिला सतना म०प्र० के राजस्व प्रकरण क्रमांक-10अ27/2013-14 में

पारित आदेश दिनांक 16.01.17 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किया, जिसमें

Conti.....

मुनकौना साहू

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

322

बराजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग०/सतना/भू-रा०/2018/02176

जिला सतना

सुनकौना/रामविश्वास

(1)	(2)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री विजय त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मझगवां, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 98/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 13.02.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: center;">R-5464-II/16</p>

सुनकौना साहू